Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **शासन सचिवालय, जयपुर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ सहायक द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि ऑनलाईन फोन–पे के माध्यम से वसूल की**
- **एसीबी द्वारा प्रकरण किया गया दर्ज, अनुसंधान जारी**

जयपुर, *02 अगस्त, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज अरूण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा परिवादी से 20 **हजार रुपये** रिश्वत राशि ऑनलाईन फोन–पे के माध्यम से लेने पर प्रकरण दर्ज किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके अनुकम्पात्मक नियुक्ति होने पर इच्छित स्थान पर पदस्थापन करवाने की एवज में अरूण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा 20 **हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन **पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा** एवं उनकी टीम द्वारा करवाया गया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी अरूण कुमार अटल पुत्र स्व. श्री कालूराम अटल निवासी रामदेव कॉलोनी, ग्रा.पो. कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा अपनी रिश्वत मांग के अनुसरण में कुल **20 हजार रुपये रिश्वत राशि ऑनलाईन फोन–पे** के माध्यम से प्राप्त की गई। एसीबी इकाई बीकानेर द्वारा उक्त कार्यवाही सम्पन्न कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा ऑनलाईन रिश्वत राशि प्राप्त करने का यह अनोखा मामला सामने आया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।